पंचायत निगरानी संख्या : 162/2024

उनवान : हरीश बनाम सुखलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
11.11.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हस्तगत पत्रावली दिनांक 11.03.2024 को न्यायालय हाजा को स्थानांतरित होने के बाद से ही न तो अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष और न ही स्वयं प्रार्थी ने पैरवी हेतु अपनी उपस्थिति दी हैं। दरम्यान सुनवाई प्रार्थी को उपस्थिति हेतु निगरानी में अंकित पतें पर सूचना पत्र/नोटीस भेजा गया। प्रार्थी के वर्तमान निवास स्थान का अन्य कोई पता, यदि है तो जानने का न्यायालय हाजा के पास अन्य कोई स्त्रोत भी नहीं है, और न ही इस न्यायालय से यह अपेक्षित हैं। यह अवश्य स्पष्ट है कि निगरानी प्रस्तुतकर्ता/प्रार्थीपक्ष पिछले लगभग 11 माह से पैराकारी हेतु न्यायालय हाजा में असलातन या वकालतन उपस्थित नहीं हो रहें हैं। लिहाजा विचाराधीन पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में प्रार्थीपक्ष के पुनः सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	

CamScanner